International Research Journal ISSN-0975-3486 RNI : RAJBIL 01488 VOL. I * ISSUE—1

शोध पत्र—राजनीतिविज्ञान

SEPT—2009

वर्तमान परिदृश्य में आतंकवाद की नई प्रवृत्तियाँ और भारत की सुरक्षा चिंतायें

सीताराम चौधरी

सहायक प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय, चिमनपुरा (जयपुर)

विश्व में आतंकवाद का इतिहास बहुत पुराना है। आतंकवाद का सर्व प्रथम प्रयोग ब्रुसेल्स में दंड विघान को समेंकित करने के लिये 1931 में बुलाये गये तीसरे सम्मेंलन में किया गया था । जिसमें आतंकवाद का अभिप्राय ''जीवन की भौतिक अखण्डता, अथवा मानव स्वास्थय को खतरे में डालने अथवा बड़े पैमाने पर सम्पति को क्षति पहुँचाने वाला कार्य करके जानबुझकर भय का वातावरण उतपन्न करना है। लेकिन भूमण्डलीकरण के युग में इसने नए और अधिक भयावह रूप में राष्ट्र—राज्यों के समक्ष सुरक्षा के संकट खड़े किए है। क्या एक राज्य इसका सामना कर सकता है ? अथवा दुनिया के सभी देशों को मिलकर इसक सामना करना होगा,? जैसे प्रश्न उठ रहे है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है,1980 के दशक से भारत की सुरक्षा चिंताएँ आतंरिक सुरक्षा से अधिक जुड़ गई। यूं तो उत्तर—पूर्व में अंतकवाद स्वतंत्रता के बाद से ही था, किन्तु पंजाब में 1980 के दशक में आंतवादी घटनााओं ने विशेष सुरक्षा चिंताऐं पैदा की। ट्राँजिस्टर बम, विमान अपहरण व हत्याओं के माध्यम से आंतक पैदा करने का प्रयास किया गया। सैनिक कार्यवाही के साथ बातचीत व अन्य गैर—सैनिक उपायों के माध्यम से पंजाब में शांति स्थापित करने का प्रयास किया गया। पंजाब में आंतकवद को नियंत्रित किया गया तो 1987 के बाद से कश्मीर में आंतकवाद फैल गया। इसमें पाकस्तानी हाथ होने तथा पाकिस्तान द्वारा भारत में आतंकवादी गतिविधियों को चलाने के लिए न सिर्फ आई.एस.आई. का सहारा लिया गया अपितु आतंकवादी प्रशिक्षण शिविर भी चलाए गए।[1''] 1971 के भारत—पाक युद्ध में पराजय के पश्चात् जब पाक शासकों को लगा कि परम्परागत युद्ध में पाकिस्तान भारत को हरा नहीं सकता तो आंतकवाद के रूप में एक निम्नस्तरीय हिंसा के साथ छ्दमयुद्ध प्रारम्भ कर दिया। नब्बे का पुरा दशक कश्मीर में इन्हीं अतंकवादी धटनाओं के बीच बीता।[2']

आतंकवाद की नई प्रवृतियाँः—

1 वह पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा संगठित, प्रशिक्षित और अत्याघुनिक हथियारों से लैस है ।''3' 2. मौजूदा आतंकवाद की दुसरी पहचान इन्हीं नए और हल्के हथियारों और विस्फोटकों की सहज उपलब्धता और उससे भी ज्यादा सहजता से आतंकवादी संगठनों द्वारा उनका प्रयोग 3. वर्तमान आतंकवादी सीधे—सीधे राजसता को चुनौती दे रहा है।. 4. आतंकवाद न तो अपनी कोई विचारघारा है और न ही कोई रेडिकल लक्ष्य और उद्देश्य। 5.वर्तमान आतंकवाद की एक विशेषता यह भी है कि प्रभाकरण,लादेन,परेशबरूओं ने आतंकवाद का निजीकरण कर दिया 6.वर्तमान आतंकवाद ने भुमंडलीकरण की मौजूदा प्रक्रिया का भरपुर लाभ उठाया । वितीय भुमंडलीयकरण और उदारीकरण ने हवाला कारोबार का एक विशाल अंतर्राष्टीय नेटवर्क खडा कर दिया ''4'' 7.आतंकवादी संगठनों के बीच बढ़ते संपर्क ,परस्पर आदान —प्रदान और सहयोग के रूप में सामनें आया हैं ।''5'' 8.वर्तमान आतंकवाद का स्वरूप अपराघी गिरोहों और आतंकवादियों के बीच बनी नजदीकी है।दोनों एक—दूसरे के लिये उपयोगी साबित हुए है । 9.सदी के प्रथम दशक के आतंकवादी संगठनों में भाडे. के विदेशी सैनिकों का बड़े पैमाने पर

आतंकवादी आंदोलन में प्रवेश है।''6'' 10. वर्तमान आतंकवादी आत्मघाती आतकवाद का बड़े पैमाने पर विकास और प्रयोग है। 11 सितम्बर 2001 व 26 नवम्बर 2008 के मुबई हमलों में आतंकवादीयों तकनीक को जिस सफलता से अंजाम दिया वह दिल दहलााने वाला है। ''7''

आतंकवाद के विरूद्ध वैश्विक प्रयास एवं भारत :– बीसवीं सदी के अंत में आतंकवाद ने नये स्वरूप और ताकत के साथ सम्पूर्ण दुनिया को गिरफ्त में ले लिया। भारत, पंजाब, कश्मीर व उत्तर पूर्व में आतंकवाद के खिलाफ निरन्तर संघर्ष करता रहा किन्तु विश्व में इसे अतंकवाद के रूप में स्वीकार न कर राष्ट्रीय आत्म–निर्भर के सिद्धांत अथवा स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के रूप में ही देखा गया तथा समय की भू–राजनीतिक स्थितियों के कारण भारत को विश्व के देशों का इस संघर्ष के विरूद्ध कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो सका। इस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की परिणति कारगिल संघर्ष (1999) के रूप में हुई और राज्य प्रायोजित आतंकवाद विशेष रूप से सामने आया। 9/11 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व व्यापार संगठन व पेंटागन पर आतंकवादी हमले से आतंकवाद के गैर–राजकीय स्वरूप व राज्यों के समर्थन इत्यादि की और विशेष ध्यान दिया गया और इसे एक देश का नहीं, वरन् विश्व की समस्या मान लिया गया। आतंकवाद व आंकवादी संगठन इसकी श्रेणी में आ गए। विश्व स्तर पर इससे निपटने की कार्य योजना बनने लगी। तब भी आतंकवाद क्या है ? इस पर मतभेद रहा। कोई सर्वमान्य परिभाषा सामने नहीं आ पाई ''8'' भारत में होने वाले प्रत्येक बम विस्फोट की निन्दा और उससे मारे गए लोगों के प्रति संवेदना प्रकट की गई। (ग्लोबल) वार ऑन टेररिज्म प्रारम्भ किया गया।''9'' अमेरिका द्वारा अफगानिस्तान पर आक्रमण कर तालिबानी शासन का अंत कर अलकायदा को समाप्त करने का प्रयास किया गया। संसद पर आक्रमण (13 दिसम्बर, 2001) ,अयोध्या अक्षरधाम ,जयपुर, मुम्बई पर हमले बाहरी आतंकवादियों द्वारा प्रायोजित ही अधिक थे। अतः भारत की नीति अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद के विरूद्ध सम्मेलन बुलाकर सामूहिक प्रयास द्वारा इस समस्या के निदान की थीं। भारत ने अमेरिका के ''बार ऑन टेरर'' में भी सहभागी बनने का प्रयास किया और आंकवाद के विरूद्ध फ्रण्टलाइन स्टेट या अग्रिम पंक्ति राष्ट्र बनने का प्रस्ताव रखा। अमेरिका ने इसे स्वीकार नहीं किया और पाकिस्तान को अग्रिम पंक्ति राष्ट्र माना। अमेरिका व ब्रिटेन ने सुरक्षा परिषद, न कि संयुक्त राष्ट्र''10''की महासभ की मदद से अपनी नीति को अफगानितान में अल–कायदा व तालिबान के गठबंध्न को तोड़ने, वहाँ नेताओं को पकड़ने तथा आतंकवादी गतिविधियों की अफगानिस्तान में समाप्ति पर केन्द्रित किया। कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली से वहां आंतकवादी गतिविधियों में कमी आई इस प्रकार भारत ने राष्ट्र के अंदर भी उन कारणों को समाप्त करने का प्रयास किया जिनसे आंतकवाद को बढ़ावा मिलता। इसी के साथ क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से भी कई कदम उठने का प्रयास किया गया।''11''

आतंकवाद के विरूद्ध क्षेत्रीय प्रयासः– संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने क्षेत्रीय संगठनों से अपील की थी कि वे क्षेत्रीय स्तर पर इस संबंध में कदम उठाएं। 6 जनवरी, 2002 को सार्क के शिखर सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव 1373 (28 सितम्बर, 2001) का समर्थन किया अैर व्यक्तिगत तौर सामूहिक रूप से आतंकवाद को समाप्त करने का प्रण किया गया। सार्क के मंत्री समूह ने 22 अगस्त, 2002 को सार्क के आतंकवाद विरोधी अभिसमय में अतिरिक्त प्रसंविदा जोड़ते हुए आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अपनाये जा रहे वित्तीय सहायता पर रोक लगाने का प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाये गए।

आतकवाद का भारतीयकरण :– 2007–2009 में जो आतंकवादी गतिविधियाँ भारत में हुई, विशेकर हैदराबाद, बंगलौर एवं दिल्ली, जयपुर मुम्बई ,जम्मू कश्मीर में हुए बम विस्फोटों ने आंकवाद के नये रूप को भारत के समक्ष खड़ा कर दिया है। इसे कुछ ने नगरीय आंतकवाद का नाम दिया।''12'' लश्कर–ए–तय्यबा तथा हूजी ने आजाद अहमद जैसे नवयुवको को देश के विभिन्न शहरों में अड्डे बनाने का काम सौंपा। स्टूडैण्ट इस्लामिक (सिमी) द्वारा आतंकवदी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण शिविर ''13''चलाया जाना भारत में आतंकवाद के बढ़ते कदमों और एक नये आयाम का परिचायक है। केरल, कर्नाटक व आंध्रपद्रेश में इनके अड्डे स्थापित किए जा चुके है। न सिर्फ सिमी, हूजी बल्कि जम्मू लिबरेशन फ्रण्ट ने भी बैंगलोर में अड्डा बना लिया है।

अभी तक भारत की सुरक्षा व गुप्तचर एजेन्सियाँ उत्तर–पूर्व जम्मू–कश्मीर में ही आंतक के सफाये के लिए कार्यरत थी और प्रायद्वीपीय भारत में उनका ध्यान नहीं था इौर इसीलिए 'स्लीपर सेल्स' के इन भागों में पनपने में कोई अड़चन नहीं आई। स्लीपर सेल्स या 'ताजीम' असम एवं त्रिपुरा में निर्मित किये गये है। यहाँ बंगलादेश से लगी सीमा के पोरस होने का फायदा लश्कर–ए–तय्यबा ने उठाते हुए हूजी (बी) की मदद से तथा उल्फा की मदद से कम से कम 25 शिविरि चलाये है। जिनमें सिमी के सदस्य भी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके है।

भारतीय सुरक्षा व्यवस्था की खामियाँः– आतंकवाद के विरूद्ध संघर्ष में इंटेलीजेंस एजेंसियों की कार्यप्रणाली में भारी खमियाँ रही है, जो 26/11 के मुम्बई आतंकी हमले से भी सिद्ध होता है। अधिकारी वर्ग आरोप–प्रत्यारोप के खेल में संलग्न हो जाते है। केन्द्रीय ऐजेन्सियाँ कहती है कि उन्होनें राज्य स्तरीय एजेंसियों की सूचना पास कर दी थी बजाय इसके कि कोई समाधाना सोचा। यहाँ तक कि कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट भी धूल चाट रही है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् में संघीय जांच ऐजेन्सी की स्थापना का विरोध राज्य निरन्तर करते रहे और सन् 2000 से प्रत्येक केन्द्रीय सरकार के इस प्रयास को मात्र केन्द्र राज्य संबंधों के रूप में देखा जाता रहा। पंजाब, उडीसा एवं हिमाचल प्रदेश को छोड़कर अन्य सभी राज्य इसे अपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण मानते है। कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है। किन्तु आतंकी हमलो को मात्र कानून व्यवस्था की समस्या नहीं समझा जा सकता। तथापि राज्य और विशेषकर विरोधी दल द्वारा शासित प्रदेश संघीय एजेंसी की जगह पोटा जैसे कड़े कानून को बनाये जाने की वकालात करते रहे है। यह रिथति भयावह थी, जहाँ आतंक के समाधान के उपाय मात्र राजनीतिक विवाद के विषय बनकर रह गये थे। तर्क यह भी दिया जा रहा है। कि केन्द्र आतंकवाद को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर बिना राज्यों के क्षेत्राधिकार का हनन किये आतंक विरोधी मुहिम चला सकता है। जिस प्रकार मादक पदार्थ के संदर्भ में किया जाता है। उम्मीद की गई वरिष्ठ अधिकारियों के बीच इसके द्वारा अधिक बैठकें व मुलाकात हो सकेगी। जिससे मॉनीटरिंग बेहतर होगी। साथ ही राज्यों एवं केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों के मध्य भी सहयोग बढेंगा।''[14]'' इससे इस आवश्यकता को कि आंकवाद को रोकने के प्रभावी तरीकों के लिए सिर्फ ''एक्शनेबल अंटेलीजेस ही नहीं बल्कि क्रेडिबल इनवेटिगेान' (विश्वसनीय जाँच) भी होना चाहिए, पूर्ण किया ज सकेगा। विश्वसनीय जाँच और पुख्ता सबूतों की आवश्यकता तब भी सामने आई जब दिल्ली हाईकोर्ट के (5 अगस्त, 2008) विशेष न्यायाधिकरण ने यह कहते हुए सिमी पर से प्रतिबंध हटा दिया कि इस संगठन को प्रतिबन्धित किये जाने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं रखे गये है।''[15]'' हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने 15 घंटों के अंदर इस फैसले को पलटते हुए प्रतिबंध बहाल कर दिया पर इससे आतंकवाद के विरूद्ध लड़ाई में कानूनी जटिलताओं की दिक्कत स्पष्ट हो गई। एक मत के अनुसार आतंकवाद से लड़ने के लिए प्रभावी कानून की कमी रही है। इस प्रकर सिमी जैसे संगठनों के प्रति भी राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत दृष्टिकोण न रखते हुए राजनीति दृष्टिकोण अपनाया गया। जिस प्रकार उ.प्र. की 80 में से 25–35 संसदीय सीटों पर सिमी परिणामों पर प्रभाव डालनें की स्थिति में रही है। अतः कुछ दल मुस्लिम मतों के कारण सिमी के विरूद्ध किसी कठोर कदम को उठाये जाने के विरोधी रहे है। संघीय जाँच एजेन्सी को तत्काल लागु किया जाये ,समय सीमा में विभिन्न आंतकी केसों का फँसला किया जाये। यह आवश्यकता बार–बार सामाने आई और 26 नवम्बर, 2008 को मुम्बई पर आतंकी हमले के पश्चात् ही सरकार ने कुछ कदम उठाये।हाल ही में 10 सितम्बर 2009 को राजस्थान सरकार ने आतंकियों से निपटने के लिये पूर्णकालिक एटीएस का गठन किया गया जो सराहनिय है''16''।

सरकार द्वारा प्रयासः– गैर कानूनी गतिविधि (निरोधक) कानून (संशोधन) 2008 एवं राष्ट्रीय जांच एजेन्सी (एन.आइ.ए.) विघेयक 2008 की जल्दबाजी में सरकार ने पारित करवाया ''[17]'' मुबई पर आतंकी हमले की तीखी प्रतिक्रिया को देखते हुए ही सरकार ने यह कदम उठाया। विपक्षी दलों ने भी इस कारण से इन विधेयकों को पारित करने में समर्थन व्यक्त किया। किन्तु इससे सभी राजनीतिक दलों की सहमति नहीं रही और इनके दृष्टिकोण में मतभेद बना रहा। प्रश्न उठता है कि नये कानूनों को पारित करने अथवा संशोधित करने से भारत की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित हो जायेगी ? स्वयं गुहमंत्री चिदम्बरम् का कथन था कि

नये कानून आतंकवाद को रोकने की व्यवस्था नहीं करते। ये त्वरित व सक्षम जाँच, निष्पक्ष एवं शीध्र ट्रायल तथा निरोधक दण्ड की व्यवस्था है। गैर कानूनी गतिविधियों कानून मूलतः 1967 में बनाया गया था। इसी प्रकार टाडा (टेररिस्ट एण्ड डिसरिप्टिव्ह एक्टिविटीज प्रीवेंशन एक्ट,1986) पर आधारित था (1995 में लेप्स) टाडा व पोटा दोनों के ही दुरूपयोग की शिकायते थी। 2004 के संशोधन से गैर कानूनी गतिविधि कानून का भी स्वरूप बिल्कुल परिवर्तित हो गया था। 2008 में इसी में संशोधन कर 43 डी वं 43 ई जोड़कर ने प्रावधान किये है, पर ये आतंकी गतिविधियों में लिप्त आरोपी को 180 दिनों तक बगैर जमानत के हिरासत में रखने और उम्र कैद की सजा बढ़ाने से संबंधित है। विदेशी आतंकी को जमानत नहीं मिल सकेगी। आतंकवाद में प्रयुक्त होने वाले हथियार रखने वले को भी कम से कम 10 वर्ष की सजा दी जा सकेगी। संक्षेप में यह दुनिया का सबसे सख्त कानून है। इसी प्रकार संघियाँ जाँच एजेन्सी विघेयक द्वारा एजेन्सी को पूरे देश के किसी भी कोने में होने वाली आतंकवादी घटनाओं तथा अन्य अपराघों की जाँच राष्ट्रीय जांच एजेन्सी करे। आंकववाद से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिये विशेष अदालतें भी बनेगी। ये कानून आतंकवाद का सामना करने में कितने सक्षम होगें यह तो समय ही बतायेगा। गृहमंत्री चिदंबरम् का भी यह कहना था कि इन कानूनों की समीक्षा कर परिवर्तन किया जायेगा। तथापि जो प्रश्न उठाये गये वे ये थे कि जब वर्तमान कानुन में 80 दिन तक बगैर जमानत के हिरासत में रखा जा सकता है और जो दुनियाँ का सबसे अधिक लम्बी हिरासत का प्रावधान है उसे ही 180 दिन बढ़कर सिवाय एक प्रतीक्षात्मक कदम के क्या कहा जा सकता है।

गठन मे ंपश्चात् राष्ट्रीय जाँच एजेन्सी का स्वरूप क्या होगा ? यह स्पष्ट नहीं है। क्या मात्र इसके गठन से समस्या का हल हो जायेगा या अमेरिका की तर्ज पर हमे भी होमलैण्ड या सिक्योरिटी विभाग की पृथक से व्यवस्था करनी होगी। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि सी.बी.आई,रॉ, आई.बी, और एनआईए जैसी भारत में अभी कार्यरत एजेन्सियों की कमी है। और एनआईए में फोरीतौर पर इन्ही से लोग लिये जाने है किस प्रकार इन सभी एजेन्सियों के काम को प्रभावशील बनाया जा सकेगा। मूल प्रश्न यह भी है कि आम जनता का वास पुलिस से पड़ता है और हमारी पुलिस व्यवस्था सबसे लचर एवं उसके पास धटिया हथियार है। इसे दुरस्त किये बिना सफलता संदिग्ध ही रहेगी। राजनीतिक सहमति का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है विपक्षी दलों ने जनआक्रोश के कारण संसद में तो उपरोक्त विघेयको समर्थन किया पर बाहर वे अपनी पुरानी शैली में ही दिखते है। ऐसी स्थिति में निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि भारत में आंकवाद जिस प्रकार पाँव फैलाये है और पड़ोसी राष्ट्रों पाकिस्तान में तालिबान जड़े जमा रहा है, भारत में आंकवाद से सुरक्षा के नाम गंभीरता दिखाई नहीं दे रही।अभी तक तो मुम्बई हमलो के दोषी हाफिज सईद पर भी काई कार्रवाई नहीं की । इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जगत का घ्यान हटाने के लिये रोज नये नये हथकडों.को अनजाम दे रहा है।''18''

सन्दर्भ ग्रन्थ

1. नोम चॉम्स्की :पिरेटस एण्ड एम्परर्स :इंटरनेशनल टेररिज्म इन रियल वर्ल्ड,न्युयार्क :क्लेयरमांट रिसर्च एण्ड पिब्लकेशंस ,1986 ,प. 01 2. कश्मीरी उग्रवादियों को कई इस्लामिक संगठनों से वित्तीय मदद प्रापत होती रही है। जैसे पाकिस्तान के अल रसीद ट्रस्ट द्वारा जो मौलाना मसूद अजहर तथा मरकाजूल दवा इशाद के द्वारा चलाया जाता था वास्तव में लश्कर–ए–तय्यबा से संबंधित रहा एनएस .जाम्बालः टेररिस्ट फायनेंसिग एण्ड पोर्ट स्ट्रक्चर इन जम्मू एण्ड कशमीर स्ट्रेटिजजिक एनेलिसिस प्रति 26 सं. 1 जनवरी–मार्च 2002 पृ. 145 3 अहमद राशिद ,पू.उ.प.28 4. टेररिज्म होस्टिलिटी शब्द का इस्तेमाल होता है जब पश्चिम में कोई ऐसी घटना होती है। परन्तु पूर्व में उग्रवाद या विद्रोह का नाम दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र का अगस्त 1998 का प्रस्ताव 49/60 भी वैचारिक आधारों पर इस शब्द का अर्थ बताता है जो स्थान व देश के संदर्भ में उपयोग में लाया जा सकता है।5. अहमद राशिद :तालिबानः एस्सपोर्टिंग एस्सट्रीमिज्म फॉरेन अफेरर्स ,नवम्बर–दिसंबर,1999, न्युयॉर्क प.33–34 6. ग्रांट वार्डला, प. 31 7. रोहन गुणरला,द एल,टी,टी,ई,एण्ड सुसाइड टेररिज्म चेन्नई : फ्रंटलाइन,18 फरवरी 2000,प.107 8 अमेरिका विदेश विभाग : पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल टेररिज्म, 2001,प. 1,खण्ड 9. कांग्रेस के संयुक्त अधिवेशन मे ंराष्ट्रपति का भाषण–20 सितम्बर 2001 10 विस्तृत अध्ययन के लिएदेखे– टेंररिज्म एण्ड ह्यूमन राइटस एफ.पी.आर. सी. जर्नल फॉरेन पॉलिसी हरचर्स सेन्टर नई दिल्ली वे. 1 11 दक्षेस देशों ने भीा खानापूर्ति ही कीे, धरेलु कानूनों में संगति अभी तक नही बैठाई गई है। प्रत्यर्पण संधियाँ भी नहीं हुई है, हिन्दुस्तान टाइम्स, 29 जुलाई 2008 12 आनंद अर्पिता एव ंसिंहअमरजीत टेररिज्म एन दी हिंटरलेण्डः रिपोर्ट ऑन दी आइ डी एस ए राउण्ड टेबल डिसकश्न, 10.06.2008 13 अहमदाबद विस्फोट की योजना सफदर नागोरी द्वारा बडोदरा के हालोल तालुका में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में बनाई गई थी। नागोरी ने केरल में दिसम्बर 2006 में शिविर आयोजित किया गा था। 14 हिन्दुतान टाइम्स, 30 जुलाई 2008 15 1977 मे अलीगढ़ में स्थापित सिमी को सर्वप्रथम 2001 में गौरवैधानिक गतिविधियों : प्रतिबंधद्व कानून के तहत प्रतिबंधित किया गया था। तबसे तीन बार प्रतिबंध को बढ़ाया गया। 2008 में फरवरी में जब पुनः प्रतिबंधित 16. दैनिक भास्कर जयपुर 10सितम्बर 2009, प.01 17 .हिन्दु 18दिसम्बर 2008 18. राजस्थान प.त्रिका,जपुर 11 सितम्बर 2009